

# जाति प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे  
केन्द्रों में प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... नेहिंडा मा धौरिया

सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... कुलवीर तिंह ..... निवासी दुगाँनगर,

टॉ. ए. कैम्प हॉ पॉर्ट, कोटा ज़ख्म, कोटा ज़िला कोटा

जाति जात्य एत सो. समुदाय के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति तथा

अनुसूचित आदिम जाति (सूची संशोधन अधिनियम धारा 1958 संविधान अण्डमान

निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1958 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम

जाति मानी जा चुकी है श्री ..... नेहिंडा छठ्ठोरिया मा धौरिया और इनका

परिवार साधारणतः नगर ..... कोटा राज्य ..... राज्यधान

संघ क्षेत्र ..... कोटा के ज़िला ..... कोटा के निवासी है।

आज दिनांक ..... २५/०९/८७ को यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर

तथा इस व्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

  
विवासीलदास लालपुरा  
विवासीलदास (राज.)



पद .....  
कार्यालय की मोहर

राज्य संघ राज्य क्षेत्र

नोट : यह प्रयोग साधारणतः निवासी का अब बही होगा जो कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1985 की धारा 20 में है।